



2026:AHC:52211

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3559 वर्ष 2026

मोहम्मद साजिदयाचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं 5 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: उमाशंकर सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: ए.एस.जी.आई., प्रेम शंकर प्रसाद

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री उमाशंकर सिंह और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रेम शंकर प्रसाद को सुना गया।
2. श्री प्रेम शंकर प्रसाद द्वारा वर्तमान याचिका की विचारणीयता के संबंध में एक प्रारंभिक आपति उठाई गई है। उनका तर्क है कि इस न्यायालय का इस मामले पर कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है, विशेष रूप से तब जब छठे प्रतिवादी का चयन महाराष्ट्र में किया गया था और वह वर्तमान में ओडिशा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत है। इस संबंध में **राजेंद्र कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ, (2004) 1 UPLBEC 108** के पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा जताया गया है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस विधिक स्थिति का खंडन नहीं कर सके। हालांकि, उनके अनुसार, प्रतिवादी संख्या-6 मऊ का स्थायी निवासी है और इसलिए इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी संख्या-6 का चयन महाराष्ट्र में हुआ था और वह ओडिशा में तैनात है, इस न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र हो सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय की राय में, इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर 'वाद कारण' का कोई हिस्सा उत्पन्न नहीं होता है। विशेष रूप से तब, जब याचिकाकर्ता के स्वयं के मामले के अनुसार, छठा प्रतिवादी ओडिशा में तैनात है और उसका चयन महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। यह मुद्दा अब 'नो मोर इंटेग्रा' (no more integra - यानी अब इस पर कोई संदेह नहीं है) है, जैसा कि राजेंद्र कुमार मिश्रा (उपरोक्त) के पूर्ण पीठ के मामले में निर्धारित किया जा चुका है।
5. तदनुसार, यह रिट याचिका विचारणीय न होने के कारण खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह उस न्यायालय में अपनी बात रखे जिसका इस मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है।
6. आज प्रस्तुत किए गए निर्देशों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और उन्हें परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किया जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

16 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।